



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2355]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 2018/आषाढ़ 5, 1940

No. 2355]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 2018/ASHADHA 5, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2018

का.आ. 3098(अ).—केंद्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड से परामर्श करके दीनदयाल पत्तन न्यास, गांधी धाम (तत्कालीन कांडला पत्तन न्यास, कांडला) पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 8 मई, 1991 में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 319(अ), तारीख 8 मई, 1991 के लागू होने से उक्त अधिसूचना की अनुसूची (क्रम संख्यांक 8 के मद (i), (ii) और (iv) के सामने) में विनिर्दिष्ट कार्य में ठेका श्रम के नियोजन की बाबत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

(क) दीनदयाल पत्तन न्यास का प्रबंधन ठेका श्रमिकों को निम्न सूत्र से उचित मजदूरी संदत्त करेगा, आरडब्ल्यू = (ए+बी)/2

(आरडब्ल्यू = ठेकेदार द्वारा ठेका श्रमिकों को दी जाने वाली उचित मजदूरी की दर)

ए = कर्मकार की विशिष्ट श्रेणी के लिए मजदूरी की अधिसूचित दरें, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञेय वीडिए (परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) भी है।

बी = दीनदयाल पत्तन न्यास में श्रेणी का न्यूनतम आधारिक वेतनमान + अनुज्ञेय वीडिए (परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) + एचआरए (मकान किराया भत्ता) + पीसीए (पत्तन शहर भत्ता) + वाहन भत्ता/30);

(ख) जब कभी संविदा में परिवर्तन होता है दीन दयाल पत्तन न्यास का प्रबंधन विद्यमान ठेका कर्मकारों को जो कार्य कर रहे हैं, संतोषप्रद कर्तव्यपालन के अध्वधीन रहते हुए आने वाले ठेकेदार द्वारा नियोजन में प्राथमिकता दिए जाने को सुकर बनाएगा।

(ग) ठेका श्रमिक कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के उपबंधों के अनुसरण में छुट्टियों सहित मजदूरी के हकदार होंगे ;

(घ) दीनदयाल पत्तन न्यास का प्रबंध समूह उपादान स्कीम या वेतन छटनी प्रतिकर के माध्यम से ठेका श्रमिकों के उपादान का विस्तार करेगी;

(ड.) ठेका श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा और अन्य कानूनी अभिलाभ प्रदान करेंगे;

(च) गांधी धाम पर कर्मचारियों को नियमित रूप से देखने वाला चिकित्सा अधिकारी पत्तन परिसर में ठेका श्रमिकों को देखेगा और सभी चिकित्सा सुविधा परामर्श और दवाइयां (जिसके अंतर्गत बाहरी विशेषज्ञ सलाह भी है) प्रदान करेगा जैसे कि दीनदयाल पत्तन न्यास के नियमित कर्मचारियों पर लागू है ;

(छ) ठेका श्रमिकों को नियोजित करने के लिए ठेकेदार को कार्य आदेश जारी करते समय दीनदयाल पत्तन न्यास का प्रबंधन उपरोक्त कथित अभिलाभों के साथ उचित मजदूरी उदधृत करेगा और ठेका श्रमिकों को उनके बैंक खाते में या तो चैक के माध्यम से या इलैक्ट्रॉनिक रीति से उचित मजदूरी संदत्त की जाएगी ।

[फा.सं. यू-23013/30/2014-एलडब्ल्यू]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2018

S.O. 3098(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby exempts Deen Dayal Port Trust, Gandhidham (erstwhile Kandla Port Trust, Kandla) from the applicability of notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Labour number S.O. 319(E), dated the 8th May, 1991, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th May, 1991, in respect of employment of contract labour in the works specified in the Schedule to the said notification [against items (i), (ii) and (iv) of serial number 8], for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to the following conditions namely:-

(a) the management of Deen Dayal Port Trust shall pay fair wages to contract labourers vide formula, $RW = (A+B)/2$

[RW= Rates of Fair Wages to be paid to Contract Labourers by the Contractor.

A= Notified rates of wages of the particular category of the workmen, including admissible VDA (Variable Dearness Allowance) by the Central Government.

B= Minimum basic of the scale of pay of the category in Deen Dayal Port Trust+ admissible VDA(Variable Dearness Allowance)+HRA(House Rent Allowance)+PCA(Port City Allowance)+ Conveyance Allowance/30];

(b) whenever there is change of contract, the management of Deen Dayal Port Trust shall facilitate existing contract workmen who are working to be given preference in employment by the incoming contractor, subject to satisfactory performances of duties;

(c) the contract labours shall be entitled to leave with wages in accordance with the provisions of the Factory Act, 1948- (63 of 1948),

(d) the management of Deen Dayal Port Trust shall extend gratuity to contract labours through Group Gratuity Scheme or pay retrenchment compensation;

(e) provide health insurance to contract labours and other statutory benefits;

(f) Medical Officer attending regular employees at Gandhidham shall attend and provide all medical facilities consultancy and medicines (including outside expert advises) to contract workers at the Port premises as are applicable to the regular employees of Deen Dayal Port Trust;

(g) while issuing the tender work order for engaging contractor to employ contract labours, the management of Deen Dayal Port Trust shall quote the fair wages alongwith other benefits as stated above and contract labours shall be paid fair wages in their bank accounts either by cheque or electronic mode

[F. No. U-23013/30/2014-L.W]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy.